

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 109/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एसएमईसीसीसीसी, एलआईसी डिवीजन ऑफिस बिल्डिंग केम्पस, अम्बेडकर
सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स गुरुकृपा इण्डस्ट्रीज जरिये प्रो. श्री लालचंद शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा,
पता:- 1. जे-1222, फेज-तृतीय, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
2. ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. जे-878, फेज- तृतीय, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स गुरुकृपा इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री लालचंद शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा का हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्सड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक इन ट्रांजिट, सप्लीड डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसेवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्यूपमेंट्स, सिक्योरिटीज, अवर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट दिनांकित 01.03.2012 एवं 07.06.2013 में वर्णित अनुसार) को हाइपोथिकेट कर दिनांक 01.03.2012 को 10,00,000/- रुपये एवं दिनांक 07.06.2013 को 19,31,000/- रुपये कुल राशि 29,31,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाइपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

450
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिकारता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 29,31,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,88,763/- रूपये की ऋण सुविधा जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स गुरुकृपा इण्डरट्रीज प्रो. श्री लालचंद शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा के हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्सड असेट्स(बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक इन ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्विपमेंट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट दिनांकित 01.03.2012 एवं 07.06.2013 में वर्णित अनुसार) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर